


प्ररूप 2 (नियम 11 (4) देखें)



कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (JABALPUR), मध्यप्रदेश

दूरभाष:-

फैक्स:

ई-मेल:

क्रमांक: स्कूल आई.डी. - 39253538/5100
प्रति,

दिनांक:- 11.08.2017

प्रबंधक,

(ST. ALOYSIUS SEN. SEC. SCHOOL)

वषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिका अधनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिका नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 01/01/1900 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -ST. ALOYSIUS SEN. SEC. SCHOOL, KATANGI ROAD, RIMJHA POST MANGELA, JABALPUR को कक्षा KG-1 से कक्षा 8th तक के लए दिनांक 01/04/2017 से 31/03/2020 तक कालावध के लए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्न लखत शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी:-

- मान्यता यस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यतासंबद्धता की कोई बाध्यता कसी भी रूप में व्यवक्षत नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिका अधनियम, 2009 (उपाबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिका नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के वंचत समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दथा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेश बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके बांधक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार बांधक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है कंतु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा वशर्त क जहां स्कूल पूर्ण स्कूल (प्र स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्र-स्कूल में प्रवेश के लए लागू होंगे।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लए स्कूल को अधनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी बैंक पटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अधभावक के साथ कसी छानवीन प्रक्रया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल कसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
 - (क) आयु के सूक्त के अधभाव में;
 - (ख) यदि प्रवेश के लए वहित की गई यस्तारित कालावध के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
 - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से कसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा क-
 - कसी स्कूल में प्रारंभक शिक्षा पूर्ण होने तक कसी भी बालक को कसी कक्षा में रोका या निष्कासत नहीं कया जाएगा;
 - कसी बालक को धारीरिक या मानसक रूप से प्रताडत नहीं कया जाएगा;
 - प्रारंभक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
 - नियम 19 के अधीन प्रारंभक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
 - अधनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्त/वशेश आवश्यकता वाले बालकों को समाहित कया जाएगा;
 - अधनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शक्तों की भर्ती की जाएगी; वशर्त क वर्तमान में कार्यरत जो शक्तक इस अधनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवध में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी ;
 - शक्तों को अधनियम की धारा 24(1) के अधीन निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
 - प्रायवेट टीचिंग की गति वधर्यों में शक्तक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।
- स्कूल समुचत प्राधकारी वद्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
- अधनियम की धारा 19 में वहित कए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुवधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन कया जाएगा।

School Recognition Certificate generated and downloaded from Education Portal [www.educationportal.mp.gov.in]

- स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में वनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुवधाएँ निम्नानुसार पाई गयीं:-

सुवधाएँ		पोर्टल में दर्ज		वास्तविक स्थिति
8	स्कूल के भवन की स्थिति	स्वयं का भवन	स्वयं का भवन	
9	स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	352000	352000	
10	स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	35212	35212	
11	खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	99325	99325	

ड. अधोसंरचना का ववरण

क्र.सं.	कक्षा	Rooms as	पोर्टल में दर्ज		वास्तविक स्थिति	
		per RTE	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)
1	कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्षा		40	750	40	750
2	कार्यालय कक्षा-सह-भण्डार कक्षा-सह-प्रधानाध्यापक कक्षा		5	750	5	750
3	भोजनालय-सह-भण्डार		1	750	1	750

घ. अन्य सुवधाएँ

क्र.सं.	अन्य सुवधाएँ	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
1	क्या सभी सुवधाओं तक पहुंच बाधा रहित है हां/हाँ	हाँ	हाँ
2	पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
3	खेलकूद एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
4	पुस्तकों की संख्या	5831	5000
5	पत्रिकाएं/समाचार पत्र	7	3
6	पेयजल सुवधा का प्रकार	Tube Well	Tube Well
7	पेयजल सुवधा की संख्या	24	24
8	शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/हाँ)	Indian	Indian
9	लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	12	12
10	लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	16	16
11	वकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	1	1
12	क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है? हां/हाँ	हाँ	हाँ

- लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टर्ड एकाउन्टेड द्वारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा ववरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के ववरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर..39253538.. एवं डीआईएसकोड (DISE) 23390417101 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएं।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
- सोसायटी/स्थान, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपाबंध "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सद्द हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

भवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला JABALPUR

मध्यप्रदेश